न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2022-170(GCMS2022-456) RTA223 Premsingh n ors Vs Motisingh etc

1. प्रेमसिंह पुत्र राणुसिंह जाति राजपूत
2. गायडसिंह पुत्र राणुसिंह जाति राजपूत
3. तेजसिंह पुत्र राणुसिंह जाति राजपूत
4. भारतसिंह पुत्र राणुसिंह जाति राजपूत
5. किशनकंवर पत्नी फतेहसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण ग्राम डांवरा, तहसील बावडी,
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. मोतीसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत
2. गणपतसिंह पुत्र जेठुसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण ग्राम बेगडिया, तहसील ओसियां,
   जिला जोधपुर
3. चन्दनसिंह पुत्र राणुसिंह
4. श्यामसिंह पुत्र राणुसिंह
5. महेन्द्रसिंह पुत्र राणुसिंह
6. सवाईसिंह पुत्र तखतसिंह
7. सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह
8. लहरकंवर पत्नी जब्बरसिंह
9. भंवरसिंह पुत्र भैरूसिंह
10. तेजसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह
11. छोटूसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह
12. श्रामसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह
13. रघुनाथसिंह पुत्र कालूसिंह
14. ओमसिंह पुत्र कालूसिंह
15. पुनमसिंह पुत्र रिडमलसिंह
16. मदनसिंह पुत्र रिडमलसिंह
17. मनोहरसिंह पुत्र नाथुसिंह
18. गेरकंवर पत्नी नाथुसिंह
19. नरेन्द्रसिंह पुत्र संग्रामसिंह
20. जितेन्द्रसिंह पुत्र संग्रामसिंह
21. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह
22. विरेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी

23. चिकूकंवर पत्नी श्यामसिंह
24. सवाईसिंह पुत्र सोनसिंह
25. आलमसिंह पुत्र अमरसिंह
26. कालूसिंह पुत्र अमरसिंह
    सभी जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम डांवरा
    तहसील बावडी, जिला जोधपुर
27. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बावडी,
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 30 सितम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 57/2019 प्रेमसिंह व अन्य बनाम मोतीसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री पुखदास वैष्णव, श्री घेवरराम विश्नोई एवं श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स

श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 05 दिसम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2019 प्रेमसिंह व अन्य बनाम मोतीसिंह आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 सितम्बर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 अक्तूबर 2022 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

राजस्व अपील प्राधिकारी

1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम डांवरा स्थित आराजी खसरा संख्या 1141 रकबा 07 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1170 रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 61 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में पेश किया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से उक्त वाद का जबाब एवं काउण्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की गयी और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट्स का दावा खारिज कर दिया और रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के अपीलाण्ट्स ही एकमात्र खातेदार है और विगत करीब 150 सालों से पीढी-दर-पीढी वादग्रस्त आराजियात उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलाण्ट्स-वादीगण के पितामह धूडसिंह पुत्र पीरदानसिंह के दो अन्य भाई दौलतसिंह व धनसिंह लाऔलाद फौत हो गये, अपीलाण्ट्स-वादीगण के पितामह धूडसिंह पुत्र पीरदानसिंह के तीन पुत्र राणुसिंह, फतेहसिंह एवं जालमसिंह हुए, जिनमें से जालमसिंह का बाल्यावस्था में देहान्त हो गया, राणुसिंह के वारिसान अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार प्रेमसिंह, गायडसिंह, तेजसिंह व भारतसिंह है, इसी प्रकार फतेहसिंह की वारिस अपीलाण्ट संख्या 5 किशनकंवर है। रेस्पो.-प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का वादग्रस्त आराजियात में कभी कोई हक-हिस्सा अथवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जा काश्त नहीं रहा है और विगत तीन पीढियों से प्रतिवादीगण ग्राम डांवरा में निवास ही नहीं करते है। मात्र राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश नाम दर्ज हो जाने के आधार पर रेस्पो.-प्रतिवादीगण को कोई हक-हकूक एवं अधिकार अर्जित नहीं हो सकते। रेस्पो. -प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात खसरा संख्या 85 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सख्या 155 रकबा 62 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 158 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 159 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 220 रकबा 87 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा संख्या 238 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 201 बीघा 02 बिस्वा अन्य ग्राम बेगडिया में स्थित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत पर गौर किये बिना ही मनमाने तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए अपीलाण्ट्स का दावा खारिज कर दिया और रेस्पो. की ओर प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर दी गयी। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने से अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपने वाद की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजियात अकेले उनकी खातेदारी की होना सिद्ध हो सके। स्वयं अपीलाण्ट्स की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत 2071-2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रतिवादीगण भी सहखातेदार

अपील प्राधिकारी

दर्ज है। इसके अलावा रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में भी वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपने वादपत्र में सजरा खानदान भी सही अंकित नहीं किया गया है। वास्तव में पक्षकारान के पूर्व-पुरूष हणुतसिंह के दो पुत्र लिछमणसिंह तथा पीरदानसिंह हुए, जिनका वादग्रस्त आराजियात में आधा-आधा हक-हिस्सा बनता है। अपीलाण्ट्स पीरदानसिंह के वंशज है और रेस्पो.-प्रतिवादीगण लिछमणसिंह के वंशज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया गया, जिसमें ग्राम बेगडिया की भूमि प्रतिवादीगण को अपने ननिहाल पक्ष के प्राप्त होना जाहिर करते हुए रेस्पो.-प्रतिवादीगण ने वक्त सेटलमेण्ट से वादग्रस्त आराजियात में अपन हक-हिस्सा होना जाहिर किया और स्वयं को पक्षकारान के पूर्व-पुरूष हणुतसिंह के दो पुत्रों लिछमणसिंह तथा पीरदानसिंह हुए, (जिनका वादग्रस्त आराजियात में आधा-आधा हक-हिस्सा बनता है) में से लिछमणसिंह के वंशज होना बताते हुए तदनुसार विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं किये गये विवेचन के अनुसार प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी संवत 2071-2074 में वादग्रस्त आराजियात बाबत सवाईसिंह पि. तखतसिंह सुमेरसिंह पि. भंवरसिंह लहरकंवर पत्नी जब्बरसिंह ¼, भंवरसिंह पि. भैरूसिंह ⅛ तेजसिंह कालूसिंह छोटूसिंह रामसिंह रिडमलसिंह पि. मोहब्बतसिंह केसरकंवर पत्नी मोहब्बतसिंह $^1/_{16}$ संग्रामसिंह मनोहरसिंह पि. नाथुसिंह गैरकंवर बेवा नाथुसिंह सुरेन्द्रसिंह विरेन्द्रसिंह ना.बा. व चीकूकंवर पि. श्यामसिंह सवाईसिंह पि. सोनसिंह $^1/_{16}$ किशनकंवर बेवा फतेहसिंह, प्रेमसिंह गायडसिंह तेजसिंह भारतसिंह पि. राणुसिंह ⅛ मोतीसिंह पि. खुशालसिंह $^1/_{16}$ गणपतसिंह पि. जेठूसिंह $^1/_{16}$ गुलाबसिंह अमरसिंह पि. धोकलसिंह ⅛ राणुसिंह पि. पेपसिंह ⅛ जाति राजपूत साकिन देह खातेदार ना.सं. 1600 दर्ज है। रेस्पो.-प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श डी-1 (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 102) पर्चा खतौनी गांव डांवरा संवत 2007-2008 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात बाबत कालम संख्या 2 नाम काबिज मय वल्दियत कौमियत, सकूनत मय नौइयत व तफसील में धूडसिंह वल्द पीरदानसिंह ¼ मु. जडावकंवर बेवा धनसिंह ¼ खुशालसिंह वल्द रूपसिंह ¼ गणपतसिंह वल्द जेठूसिंह ¼ कौम राजपूत छुट्ट भाई दर्ज है और कॉलम संख्या 3 नाम काश्तकार मय वल्दियत कौमियत सकूनत मय किस्म में खुदकाश्त अंकित किया हुआ है। प्रदर्श-2 (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 38) पर्चा चकबंदी सेटलमेण्ट डिपार्टमेण्ट राजस्थान राज्य में भी वादग्रस्त आराजियात बाबत तख्तसिंह वल्द मगसिंह व मु. सिरेकंवर बेवा अर्जुनसिंह बलवंतसिंह वल्द राजूसिंह ¼ भैरूसिंह वल्द किशनसिंह मु. पदमकंवर

बेवा पोलसिंह गोविन्दसिंह व मोहब्बतसिंह पि. हेमसिंह नाथुसिंह सोनसिंह पि. सवाईसिंह ¼ धूडसिंह वल्द पीरदानसिंह मु. जडावकंवर बेवा धनसिंह ¼ गणपतसिंह पि. पेपसिंह ¼ कौम राजपूत साकिन देह छुटभाई दर्ज है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य (राजस्व रिकाड) के संबंध में इन्द्राजात का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही तनकी संख्या एक (आया वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण वादपत्र के पद संख्या एक में उल्लेखित किया गया है, वादीगण की पीढियों से कब्जा काश्त सुदा भूमि है, जिस बाबत वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है), वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के दर्ज हिस्से को नजरअंदाज करते हुए सम्पूर्ण ही वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ निर्णित कर दी, जो प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुरूप एवं न्यायोचित नहीं है। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बकाया अन्य तनकियात का निस्तारण भी वादीगण के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिया गया। तनकी संख्या एक का निस्तारण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुरूप नहीं किये जाने से उसके आधार पर अन्य तनकियात बाबत पारित निष्कर्ष भी दूषित हो जाते है।

जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत एवं तथ्यपरक विवेचन किये बिना ही उक्त तनकियात बाबत निष्कर्ष अंकित करने हेतु अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 सितम्बर 2022 अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को पुनः साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तदनुरूप तनकीवार निष्कर्ष पारित कर नियमानुसार विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे। मूल वाद में पुनः निर्णय पारित किये जाने तक वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति को बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है। उभय पक्षकारान अग्रिम कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29 दिसम्बर 2022 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर